न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./05/2018/जैसलमेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. अमरसिंह पुत्र हड़वन्तसिंह उम्र 65 वर्ष, जाति राजपूत निवासी घोलासर तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर।	बनाम	1.किशन गोपाल पुत्र गिरधारीलाल 2.जगदीशचन्द्र पुत्र गिरधारीलाल जातियान गुर्जर निवासीयान 11 वी "डी" रोड़ दूध दही भवन गोपाल अस्पताल रोड़ के पास, जोधपुर 3.भूराराम पुत्र तेजाराम 4.ठाकराराम पुत्र लिछमणाराम जातियान जाट निवासीयान खोखर तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर हाल घोलासर तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 5.शाखा प्रबन्धक जी0टी0जी0बी0 भीखाडाई 6.शाखा प्रबन्धक एस0बी0बी0जे0 फलसुण्ड 7.श्रीमान तहसीलदार भणियाणा

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा प्रकरण संख्या 05/2015 बअनवान गोपाल किशन वगैरा बनाम अमरसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2018 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री छैलसिंह राठौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मुकेश जैन रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– **29.07.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट का खातेदारी जोत ग्राम घोलासर तहसील भणियाणा के खसरा संख्या 1025 रकबा 13.07 बीघा व खसरा संख्या 2548/1025 रकबा 20.00 बीघा आया हुआ है। उक्त आराजी में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

किया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को अपने खेत से सड़क तक पहुंचने के लिए रास्ता की जरूरत है सड़क तक पहुंचने के लिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 107 व 1015 व खसरा संख्या 1015/2501 व खसरा संख्या 1024 आते है। ये भूमि अप्रार्थीगणों के खातेदारी की है। सड़क तक जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की जोत में से दिये गए रास्ते की भूमि में अपीलांट का टबूव वैल, रहवासी ढाणी आई हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार भणियाणा से मौका रिपोर्ट मंगायी गई है उस रिपोर्ट के अवलोकन से यह साफ प्रकट है कि खसरा संख्या 1015/2500 व खसरा संख्या 1017 की भूमि में न तो कोई रास्ता है ओर न ही कभी कोई रास्ता रहा हैं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि से परे मौका रिपोर्ट के विपरीत जाकर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटगण के खातेदारी खेतों में जाने हेतु एक रास्ता अपीलांट द्वारा आवेदन में प्रस्तुत नजरी नक्शा के मार्ग "डी" से बताया गया है जो रास्ता रेस्पोडेंटगण के उपयोग उपभोग में आ रहा है। जिस पर ग्रेवल सड़क मूरड़ा डाला हुआ है। अपीलाधीन आदेश से प्रार्थी/रेस्पोडेंट को प्रदत्त रास्ता आत्यांतिक आवश्यकता के लिये नहीं दिया गया है बल्कि अपनी सुविधा के लिए विधि के खिलाफ जाकर प्राप्त किया गया है। उतरदातागण ने यह बात अधीनस्थ न्यायालय में छिपाई तथा अपीलांट को परेशान करने की नियत से उक्त रास्ते का आवेदन पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की जोत में से दिये गए रास्ते की भूमि में अपीलांट का टबूव बैल, रहवासी ढाणी आई हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार भणियाणा से मौका रिपोर्ट मंगायी गई है उस रिपोर्ट के अवलोकन से यह साफ प्रकट है कि खसरा संख्या 1015/2500 व खसरा संख्या 1017 की भूमि में न तो कोई रास्ता है ओर न ही कभी कोई रास्ता रहा हैं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि से परे मौका रिपोर्ट के विपरीत जाकर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटगण के खातेदारी खेतों में जाने हेतु एक रास्ता अपीलांट द्वारा आवेदन में प्रस्तुत नजरी नक्शा के मार्ग "डी" से बताया गया है जो रास्ता रेस्पोडेंटगण के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उपयोग उपभोग में आ रहा है। जिस पर ग्रेवल सड़क मूरडा डाला हुआ है। अपीलाधीन आदेश से प्रार्थी/रेस्पोडेंट को प्रदत्त रास्ता आत्यातिक आवश्यकता के लिये नहीं दिया गया है बल्कि अपनी सुविधा के लिए विधि के खिलाफ जाकर प्राप्त किया गया है। उतरदातागण ने यह बात अधीनस्थ न्यायालय में छिपाई तथा अपीलांट को परेशान करने की नियत से उक्त रास्ते का आवेदन पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2018(2) Page 1193

RRT 2016-17(Supp.) Page 677

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेंस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी जोत ग्राम घोलासर तहसील भणियाणा के खेत खसरा संख्या 1025 रकबा 13.07 बीघा व खसरा संख्या 2548/1025 रकबा 20.00 बीघा में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 द्वारा रास्ता चाहा जाने पर मौका रिपोर्ट मंगवाई। एक बार प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर एतराज होने पर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के खेत तक पहुंच हेतु प्रदत्त रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता के मद्देनजर एवं सर्वोतम विकल्प के रूप में न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है। दूसरी मौका रिपोर्ट दिनांक 18.04.2017 यह स्पष्ट करती है कि अपीलांट ने इस रास्ते को अवरूद्ध करने की नीयत से उसके बीच अस्थाई छपरा बनाया है। अपीलांट की यह कार्यवाही सद्भाविक नहीं है। उसकी मंशा अपनी भूमि में से प्रार्थीगण का रास्ता नहीं देने की है। रास्ते में खसरा संख्या 1024 की भूमि शामिल है जिसके लिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उसके खातेदार द्वारा सहमति प्रदान की गई है। अपीलाधीन निर्णय बादपरीक्षण विधि सम्मत एवं सही पाया गया है। इसमें दखल की कोई गुंजाईश नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा प्रकरण संख्या 05/2015 बअनवान गोपाल किशन वगैरा बनाम अमरसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2018 को यथावत रखा जाता है।

29/7/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner